UPET010036592021

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, एटा।

उपस्थित – 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

सत्र वाद संख्या-731/2021

उ0प्र0 राज्य

-----अभियोजन पक्ष

-बनाम-

1-वीरपाल पुत्र राम सिंह
2-अवधेश कुमार पुत्र राम सिंह (आदेश दिनांक 22.02.2022 के माध्यम से अभियुक्त की पत्रावली पृथक कर न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड एटा भेजी गयी।)
3-ग्रीश पुत्र राम सिंह
4-भूपेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह
निवासीगण-दलपुर, थाना मलावन, जिला एटा।

अपराध संख्या-92/2020
आरोप पत्र की धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना-मलावन, जिला एटा।

संक्षिप्त विवरण	
सत्र वाद संख्या	731/2021
अपराध संख्या	92/2020
धारा	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986
थाना	मलावन
अभियुक्त	वीरपाल सिंह, ग्रीश एवं भूपेन्द्र सिंह
प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री रक्षपाल सिंह शाक्य,
विद्वान विशेष लोक अभियोजक प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	श्री यशवीर सिंह चौहान, एडवोकेट श्री अमित कुमार, एडवोकेट
घटना की तिथि	भिन्न-भिन्न
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	06-07-2020
आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या 54/2021, दिनांक 27-05-2021
प्रसंज्ञान की तिथि	18-06-2021

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.03.10 16:44:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आरोप विरचित किये जाने की तिथि	27–09–2021
निर्णय की तिथि	10–03–2026
निर्णय का परिणाम	दोषसिद्ध

–निर्णय–

1– सत्र वाद संख्या–731/2021 राज्य बनाम् वीरपाल आदि, अ0सं0–92/2020, अन्तर्गत धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना मलावन, जिला एटा में अभियुक्तगण वीरपाल, ग्रीश एवं भूपेन्द्र सिंह का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह ने दिनांक 06.07.2020 को जुबानी सूचना थाना मलावन, एटा पर इस आशय की प्रस्तुत की कि–

वह प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह मय हमराही कां0 401 नूरुददीन मय एक जरब इन्सास बट नं0–170 मय 20 अदद कारतूस व कां0 626 राजू बघेल मय एक जरब पम्प एक्शन गन मय कारतूस मय गाड़ी सरकारी यू0पी0–82 जी 0263 चालक कां0 641 सत्यप्रकाश के रवाना शुदा रफ्ता रपट रो0 आम तारीबी इमरोजा में बाद देखरेख शान्ति व्यवस्था चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अपराधी जांच अहकामात विवेचना मुकदमा मरजुआत अन्दर इलाका थाना हाजा व मुलाकात अफसरानवाला सदर एटा से व अनुमोदितशुदा गैंग चार्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, एटा का गैंगलीडर 1–वीरपाल पुत्र राम सिंह निवासी दलपुर, थाना मलावन, एटा तथा गैंग के सक्रिय सदस्य 2–अवधेश कुमार पुत्र राम सिंह 3–ग्रीश पुत्र राम सिंह 4–भूपेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह समस्त निवासीगण ग्राम दलपुर थाना मलावन एटा की क्षेत्र में जांच की गयी तो गैंगलीडर वीरपाल उपरोक्त का एक सुसंगठित गिरोह है, जिसके साथी अवधेश, ग्रीश व भूपेन्द्र सिंह सक्रिय सदस्य है, ये आर्थिक एवं जमीनी लाभ के लिये मृत्यु जैसी जघन्य घटना को अन्जाम देते है। दिनांक 14.06.2020 को इन लोगों ने ग्राम दलपुर में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या कर दी थी तथा 03 अन्य लोगों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे गॉव के लोग भय की बजह से अपने–अपने घरों में ताला लगाकर गांव से चले गये थे तथा गांव में अफरातफरी का माहौल हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी थी। ग्राम व थाना क्षेत्र में इनका भय व आतंक व्याप्त है। जनता का कोई भी व्यक्ति भय की बजह से इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने एवं गवाही देने को तैयार नहीं होता है। इनके द्वारा भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 में वर्णित अपराध कारित किये जाते है। इनका यह कृत्य

उ0प्र0 समाज विराधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत आता है। इनके विरूद्ध थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत है। इनका समाज में स्वछन्द रहना जनहित में उचित नहीं है।

3– थाना मलावन, एटा पर अ0सं0–77/2020 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना मलावन, एटा बनाम वीरपाल, अवधेश, ग्रीश एवं भूपेन्द्र सिंह के प्रकरण के आधार पर तथा उपरोक्त जुबानी सूचना पर अ0सं0–92/2020, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम वीरपाल, अवधेश, ग्रीश एवं भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–02 दिनांक 06.07.2020 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध किता की गयी तथा अपराध का खुलासा जी0डी0 रपट नं0–39, प्रदर्श क–03 पर किया गया।

4– प्रकरण की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बयान वादी व गवाहान व गैंगचार्ट के आधार पर मामले की विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण वीरपाल, अवधेश कुमार, ग्रीश एवं भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध बनने पर उनके विरूद्ध तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदर्श क–05 प्राप्त कर, विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रदर्श क–04, दिनांकित 27.05.2021 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी, न्यायालय विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18.06.2021 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण वीरपाल, अवधेश कुमार, ग्रीश एवं भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधियॉ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 का आरोप दिनांक 27.09.2021 को विरचित किया गया, जिसे अभियुक्तगण द्वारा अस्वीकार किया गया और विचारण की मांग की।

6– यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त अवधेश कुमार की पत्रावली न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2022 से पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड, एटा भेजी गयी।

7– अभियेाजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 04 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी का क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01	सेवानिवृत्त निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह	वादी/शिकायतकर्ता
अभियोजन साक्षी	मौहर सिंह	तत्कालीन सी0सी0

पी0 डब्लू0–02		
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–03	निरीक्षक संजय त्यागी	विवेचक
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–04	सुरेन्द्र सिंह	स्वतंत्र साक्षी

8– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न लिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

क्रम सं0	**प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।**
1	गैंगचार्ट	प्रदर्श क–01	पी०डब्लू0–01 वादी सेवानिवृत्त निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह
2	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–02	पी०डब्लू0–01 वादी सेवानिवृत्त निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह
3	जी०डी० रपट नं०–39	प्रदर्श क–03	पी०डब्लू0–02 सी०सी० मौहर सिंह
4	आरोप पत्र	प्रदर्श क–04	पी०डब्लू0–03 विवेचक निरीक्षक संजय त्यागी
5	अभियोग चलाये जाने हेतु अनुमति आदेश	प्रदर्श क–05	पी०डब्लू0–03 विवेचक निरीक्षक संजय त्यागी

9– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 05.04.2024 व दिनांक 07.11.2025 को अंकित किया गया, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत कार्यवाही करना बताते हुए अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01 के कथानक को गलत कार्यवाही कारगुजारी के लिए करना बताया है। पी0 डब्लू0–02 के कथानक को सारी विवेचना गलत व गैंगस्टर की कार्यवाही फर्जी करना बताया है। अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–03 के कथानक को गलत कार्यवाही करना बताया है। पी0 डब्लू0–04 के कथानक को झूॅठा व रंजिश बयान देना बताया है। अभियोजन साक्षीगण के बयानात को गलत बयान देना व पार्टीबंदी एवं रंजिशन की वजह से देना बताया है। अभियोग को रंजिशन एवं पार्टीबंदी के कारण चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए स्वयं को निर्दोष व गैंगस्टर नहीं है, गरीब है, खेती का विवाद में झूॅठी कार्यवाही की गयी है।

10– बचाव पक्ष की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 07.11.2025 को बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र पर कोई सफाई साक्ष्य नहीं देने का पृष्ठांकन किया गया है।

11– अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में गैंगचार्ट में वर्णित अ0सं0–77/2020 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के निर्णयादेश दिनांकित 07.08.2025 की प्रतिलिपि कागज संख्या 68ब/1 लगायत 68ब/19 प्रस्तुत की गयी है।

12– मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दाण्डिक) के तर्क सुने एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

13– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

14– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी0डब्लू0–01 वादी मुकदमा सेवानिवृत्त निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 01.07.2020 को थाना मलावन पर प्रभारी निरीक्षक के रूप में तैनात रहे थे। उस दिन उसके द्वारा गैंगलीडर वीरपाल पुत्र राम सिंह व सदस्य अवधेश, ग्रीश व भूपेन्द्र सिंह पुत्रगण राम सिंह एवं समस्त निवासीगण दलपुर, थाना मलावन, का एक संगठित गिरोह बना हुआ था। यह अपने आर्थिक लाभ के लिए हत्या जैसी जघन्य अपराध कारित करते हैं। गॉव व थाना क्षेत्र में इनका भय व आतंक व्याप्त है। जनता का कोई भी व्यक्ति इनके भय व आतंक की वजह से रिपोर्ट करने व गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। इनका क्षेत्र व गॉव में भय, आतंक व्याप्त था। इन लोगों के कृत्य से गांव व क्षेत्र में लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गयी थी, इसलिए समाज में स्वछन्द रहना जनहित में उचित नहीं था। इसलिए इन व्यक्तियों को निरूद्ध करने हेतु उसके द्वारा गैंगस्टर एक्ट के नियमानुसार गैंगचार्ट बनाया गया और नियमानुसार सी0ओ0 सकीट, अपर पुलिस अधीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 06.07.2020 को गैंगचार्ट की संस्तुति की गयी। उसके बाद जिला मजिस्टे्रट, एटा द्वारा अनुमोदन किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अ0सं0–77/2020 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट मुकदमा थाना मलावन में दर्ज है, जिसें गैंगचार्ट में दिखाया गया था। अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट के आधार पर व जुबानी के आधार पर अ0सं0–92/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट राज्य बनाम वीरपाल आदि की रिपोर्ट दिनांक 06.07.2020 को दर्ज करायी थी। सी0सी0 मौहर सिंह द्वारा उसके द्वारा बोलने पर टंकित की गयी थी। उसके बाद उसने

हस्ताक्षर किये थे। गैंगचार्ट पत्रावली पर संलग्न है, जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–01 डाला गया तथा चिक एफ0आई0आर0 असल 4अ/1, 2, 3 संलग्न है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। चिक एफ0आई0आर0 पर प्रदर्श क–02 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान दिनांक 07.07.2020 को लिया था।

15– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि गैंगचार्ट में अभियुक्तगण के विरूद्ध एक अपराध अ0सं0–77/2020 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 504, 506 भा0दं0सं0 व एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का पंजीकृत है। गैंगचार्ट में यह लिखा गया है। इनके द्वारा भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 में वर्णित अपराध कारित किये जाते है, जो सही है। अध्याय 16 में 302 भा.0दं0सं0 का अपराध आता है। अध्याय 17 में सम्पत्ति सम्बन्धित अपराध आता है। मुकदमा उपरोक्त सम्पत्ति के लिए कारित किया गया था। विवेचना उसके द्वारा नहीं की गयी, परन्तु वह उस समय थाना प्रभारी था। उसकी जानकारी में आया था कि जमीनी सम्पत्ति की क्रय की गयी थी। मु0अ0सं0–77/2020 में जो मृतक हुए थे, उनकी सम्पत्ति नहीं थी, जो घायल हुए थे, उनकी थी। यह बात सही है कि गैंगचार्ट तैयार करते समय मुल्जिमान जेल एटा में थे। गैंगचार्ट में मुल्जिमान की उम्र दौरान गिरफ्तारी प्रपत्रों में भरा जाता और उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता, उसके आधार पर भरा जाता है। यह कहना गलत है कि उसने सारी कार्यवाही सरसरी तौर पर की थी। चिक रिपोर्ट बोल–बोलकर लिखायी थी। प्रदर्श क–02 वही एफ0आई0आर0 चिक जो वह बैठकर बोल–बोलकर लिखायी थी। चिक रिपोर्ट के कॉलम नं0–14 में शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान का कॉलम है, इस कॉलम के सम्मुख थाना प्रभारी के कॉलम में उसके हस्ताक्षर बने हैं। यह कहना गलत है कि उसने रिपोर्ट बोलकर न लिखायी है। यह कहना गलत है कि थाने के कर्मचारियों को विधि के अनुसार कार्य करना होता है। यह कहना गलत है कि उसकी अनुपस्थिति में चिक किता कर दी गयी थी और उसने बाद में हस्ताक्षर कर दिया है। गैंगचार्ट में वर्णित अपराध के अलावा मुल्जिमानों के विरूद्ध कोई और मुकदमा हो या नहीं, उसकी जानकारी में नहीं है। मुल्जिमानों की सम्पत्ति के बारे में उसने कोई जानकारी नहीं की। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान कोई भी अपराध आर्थिक लाभ के लिए न किया है। यह कहना गलत है कि पुलिस कार्यगुजारी दिखाने के लिए झूॅठी कार्यवाही की है।

16– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–02 सी0सी0 1073 मौहर सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.07.2020 को वह थाना मलावन पर सी0सी0 के पद पर तैनात था। उस दिन उसने प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह के मौखिक बोलने पर व गैंगचार्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge,Court No.03, Etah.

कम्प्यूटर पर टंकित की थी, जो थाना प्रभारी ने बोला था, वही लिखा था। 4अ/1 लगायत 4अ/3 कागज है, वही प्रथम सूचना रिपोर्ट है,वही उसने टंकित की थी, जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर व मौहर है, जिस पर प्रदर्श क–02 पड़ा है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.07.2020 को समय 20:22 बजे अ0सं0–92/2020 तहरीर की थी, जिसका नकल रपट रोजनामचा आम में प्रविष्टि सं0–39 समय 20:22 दिनांकित 06.07.2020 को की थी। जी0डी0 की कम्प्यूटरीकृत कांपी पत्रावली में कागज सं0 8ब/4 है, जो उसके द्वारा तैयार की गयी थी, जिसको वह प्रमाणित करता है, इस पर प्रदर्श क–03 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

17– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि यह एफ0आई0आर0 वादी ने लिखवायी थी। मौखिक बोलकर लिखायी थी। बैठकर लिखायी थी। चिक एफ0आई0आर0 पर वादी के दस्तखत हैं। गैंगचार्ट भी वादी ने तभी दिया था। उसने पहले एफ0आई0आर0 किता की, उसके बाद जी0डी0 किता की थी। दोनों उसने एक साथ किता की थी। जी0डी0 किता करने में 15–20 मिनट लग गये होंगे। उसके बाद एफ0आई0आर0 किता करने में उसे समय ध्यान नहीं है, कितना समय लगा होगा। उसने अपने एस0एच0ओ0 महोदय के आदेश का पालन किया था, जो उससे एस0एच0ओ0 महोदय ने कहा, वही उसने किता किया। उसे यह ध्यान नहीं है कि उसने उस दिन संज्ञेय मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज की थी। न उसे असंज्ञेय मामलों की जानकारी है। मुल्जिमानों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है कि कौन कहां का हैं। यह कहना गलत है कि उसने उक्त कार्यवाही एण्टीटाईम की है। यह कहना भी गलत है कि पुलिस कार्यवाही दिखाने हेतु झूॅठा बयान दे रहा है।

18– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–03 विवेचक निरीक्षक संजीव त्यागी** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 14.05.2021 को थाना प्रभारी रिजोर के पद पर तैनात था। अ0सं0–92/2020 थाना मलावन बनाम वीरपाल आदि की विवेचना लम्बित मिली थी। उक्त अभियोग की विवेचना उससे पूर्व थाना प्रभारी रिजोर श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा की गई थी। उनके स्थानान्तरण के बाद मुझ निरीक्षक को प्राप्त हुई। उसके द्वारा सी0डी0 नं0–21 दिनांक 14.05.2021 को किता की गई तथा सी0डी0 नं0–22 दिनांक 18.05.2021 को किता की गयी, जिसमें पूर्व विवेचनान्तमक कार्यवाही का उल्लेख दर्ज है। उक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन पूर्व विवेचक द्वारा किया जा चुका था मात्र अभियोजन स्वीकृत शेष थी। उसके द्वारा अभियोजन स्वीकृत की रिपोर्ट प्रेषित की गई। सी0डी0 नं0–23 दिनांक 27.05.2021 को किता की गयी, जिसमें अभियोजन स्वीकृत का उल्लेख दर्ज है तथा उसी दिन साक्ष्य

संकलन के अनुरुप अभियोजन स्वीकृत के उपरान्त उक्त अभियोग में आरोप पत्र संख्या-54/2021 दिनांकित 27.05.2021 को नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रेषित किया गया था, जो आरोप पत्र पत्रावली पर टाइपशुदा 3अ/1 लगायत 8 सलंग्न है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क-04 डाला गया। चारों अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाने हेतु एस0एस0पी0, एटा उदयशंकर सिंह द्वारा दिनांक 20.05.2021 को दी गई थी, जो टाइपशुदा पत्रावली पर 7अ/1 सलंग्न है, जिस एस0एस0पी0 उदयशंकर सिंह के हस्ताक्षर है, वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। अभियोजन स्वीकृत पर प्रदर्श क-05 डाला गया।

19- इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि आरोप पत्र प्रदर्श क-04 जिलाधिकारी से अनुमोदित नहीं है। गैंगचार्ट जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदित है। आरोप पत्र प्रेषित करने से पहले उसने मुल्जिमानों के बयान नहीं लिये थे, पूर्व विवेचक ने लिये थे। एक मुल्जिम अवधेश उर्फ उपदेश नाबालिग था, इसकी जानकारी उसे नहीं है। यह सही है कि मुल्जिमानों के खिलाफ गैंगचार्ट में केवल एक मुकदमा दर्शाये गये है। उसके पूर्व विवेचक द्वारा मुल्जिमानों की सम्पत्ति के बारे में जानकारी की गई है, उसके द्वारा नहीं की गयी है। उसे जानकारी नहीं है कि मुल्जिम क्या काम करते हैं। उसने पूर्व विवेचक के द्वारा की गयी विवेचना की सी0डी0 का अवलोकन किया था। अभियुक्तों के पास पैतृक भूमि होने का विवरण अंकित है, जो पूर्व विवेचक द्वारा ज्ञात किया गया है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस पैतृक सम्पत्ति के अलावा मुल्जिमान के पास अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है। मुल्जिमान द्वारा जघन्य हत्याकांड कर भौतिक लाभ प्राप्त किया गया है। भौतिक लाभ से उसका मतलब मान-सम्मान से है। यह बात सही है कि मुल्जिमान के खिलाफ हत्या का आरोप था, इस वजह से थाना प्रभारी मलावन के द्वारा इनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम में कार्यवाही की गई है और विवेचना के बाद उसने आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। हत्या वाले गवाहों के बयान पूर्व विवेचक द्वारा लिए गये थे। यह कहना गलत है कि उसने पुलिस कार्यगुजारी के कारण थाने पर बैठकर लिखा-पढ़ी करके झूॅठा आरोप पत्र प्रेषित किया है। यह कहना भी गलत है कि वह आज न्यायालय में झूॅठा बयान दे रहा है।

20- अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0-04 सुरेन्द्र** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.06.2020 को उसका भाई विजेन्द्र सुबह करीब 08:00 बजे अपने पुत्र राजा की शादी की दावत देने अपने पुत्र जितेन्द्र पुत्र घमण्डी, निवासी दलपुर, थाना मलावन में गये थे। उसी समय जितेन्द्र के अपने कुनबा के परिवारी जन वीरपाल, अवधेश, ग्रीश व भूपेन्द्र पुत्रगण राम सिंह व राम सिंह की पत्नी रामसखी, निवासीगण दलपुर, थाना मलावन, जाति लोधी राजपूत, फावड़ा, खुर्पी,

कुल्हाड़ी व कन्नी आदि लेकर आ गये और जितेन्द्र पुत्र घमण्डी व घमण्डी की पुत्री पिन्की व घमन्डी की पत्नी कृष्णा देवी, उक्त लोगों ने जमीन पर गिरा कर फावडा खुर्पी कुलाडी व कन्नी आदि से हमला करने लगे। तभी उसका भाई विजेन्द्र बीच–बचाव करने पहुंचा तो उपरोक्त सभी लोगों ने एक राय मशवरा होकर अपने हाथ में फावड़ा, खुर्पी, कुल्हाड़ी व कन्नी आदि लेकर हमला कर दिया, जिससे उसके भाई विजेन्द्र की गम्भीर चोटे आई और उसके भाई की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उपरोक्त लोगों द्वारा कृष्णा देवी, पिन्की व जितेन्द्र के भी गम्भीर चोटे आई। उपरोक्त मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर तथा जाति सूचक गाली देते हुए गांव के लोगों के आने की डर की वजह से डर कर भाग गये। उपरोक्त मुल्जिमानों के द्वारा हत्या व चोटे पहुंचाने की वजह से आस–पास के लोग भयभीत होकर अपना–अपना घर बन्द कर के भाग गये व लोक व्यवस्था भंग हो गयी। चारों तरफ डर व आतंक का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर वह भी पहुंच गया। उसके बुआ कृष्णा देवी व उनकी बेटी पिन्की व जितेन्द्र ने उसके भाई विजेन्द्र की हत्या करने वाले व चोटे पहुंचाने वाले मुल्जिमानों के नाम बताये, जिस आधार पर उसने इस घटना की तहरीर अवशेश कुमार पुत्र रतन सिंह, निवासी मलावन में घटना के रिपोर्ट नामजद अभियुक्तगण वीरपाल, अवधेश, ग्रीश, भूपेन्द्र पुत्र राम सिंह व राम सिंह की पत्नी राम सखी के विरूद्ध लिखायी। ये मुल्जिमान रिपोर्ट लिखाने के बाद गवाही न देने की उसे व गवाहों को धमकी देते रहते है। गैंगस्टर की कार्यवाही थाने के इंस्पेक्टर ने मुल्जिमानों के खिलाफ की थी।

21– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि यह मुकदमा उसने स्वयं लिखवाया था। उसने अपने आंखो से हत्या होते नहीं देखी थी। उसने यह एफ0आई0आर0 बुआ कृष्णा देवी पत्नी घमण्डी लाल के कहने पर लिखायी थी। मुल्जिमान वीरपाल, अवधेश, ग्रीश व भूपेन्द्र तथा उसमें कोई भी विवाद नहीं था। उसके भाई विजेन्द्र सिंह के खिलाफ कई मुकदमें अलग–अलग थानों पर दर्ज थे। वह इन अभियुक्तों को करीब 7–8 से जानता है। वह दलपुर कई बार आया–गया है। वीरपाल, अवधेश, ग्रीश व भूपेन्द्र खेती–बाड़ी व मजदूरी करते हैं। उसने अभियुक्तगण वीरपाल, अवधेश, ग्रीश व भूपेन्द्र के खिलाफ इस मुकदमें के अलावा अन्य कोई मुकदमा नहीं लिखाया है। उसे नहीं पता है कि मुल्जिमानों के पास कितनी जमीन है और न उसे यह मालूम है कि इन्होंने कितनी जमीन खरीदी व बेची है। जिस समय घटना हुई, उस समय वह घर पर था। यह कहना गलत है कि उसने गलत रिपोर्ट लिखाई है, बल्कि उसने सही लिखायी है।

22– मैने, राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहन परिशीलन किया।

23– धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए:–

1. अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है।
2. अभियुक्त द्वारा भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हों।
3. इन अपराधों को कारित करने का उद्देश्य–
   (i)–समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या
   (ii)–अभियुक्त द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना हो।

गिरोह की परिभाषा धारा 2(ख) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में निम्न प्रकार दी गयी हैं–

''गिरोह'' का तात्पर्य–ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टैम्पोरल), आर्थिक–भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 अथवा एन0डी0पी0एस0 एक्ट अथवा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों में अपराध करना या विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 या सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 (अधिनियम सं03 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध, या किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण नीलामी आदि में निविदा करने से रोकने, किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना भा0दं0सं0 की धारा 171 ई से सम्बन्धित अपराध

या उसमें विघ्न डालना, या जनता में दहशत संत्रास या आतंक फैलाना, या फिरौती उद्योपति करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना, या अन्य उल्लिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

''गिरोहबन्द'' का तात्पर्य–किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रिया कलाप के लिए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।

गैंग की परिभाषा–से यह स्पष्ट है कि गैंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह है जो हिंसा या हिंसा का भय दिखाकर धारा 2 (ख) में उल्लिखित अपराधों को इस उद्देश्य से कारित करे कि–

1–समाज में भय व आतंक व्याप्त हो या

2–अभियुक्त ने भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किये हो।

24– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगचार्ट में उल्लिखित अपराध कारित कर समाज में भय कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त किया गया है। अभियुक्तगण का समाज में इतना भय व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके विरूद्ध कोई आवाज नहीं उठायी जा सकती। अभियुक्तगण पर एक राय मशवरा होकर घातक आयुधो से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध समूह गठित करते हुए हत्या का प्रयास व डकैती करने जैसे अपराध कारित किये जाने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के है, जिन्हें अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू0–01 लगायत पी0डब्लू0–04 द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किये हैं। गैंगचार्ट में वर्णित अ0सं0–77/2020 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के निर्णयादेश दिनांकित 07.08.2025 के माध्यम से अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जा चुका है। अभियुक्तगण द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–02 में वर्णित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को धारा 2/3, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए दण्ड से दण्डित किया जाये।

25– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्तगण को वादी मुकदमा द्वारा

उपरोक्त मामले में गॉव की रंजिश के कारण झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को खुश करने के लिए घर से पकड़ कर उनका चालान किया गया है। अभियुक्तगण का कोई गैंग नहीं है। वे किसी गैंग के सदस्य नहीं हैं। न ही उनका समाज में कोई भय व आतंक है। उनके द्वारा किसी से अवैध धन की वसूली नहीं की गयी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनैतिक क्रिया कलापों से कौन कौन सी अवैध चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, ना ही पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–03 संजीव त्यागी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि यह सही है कि मुल्जिमानों के खिलाफ गैंगचार्ट में केवल एक मुदमा दर्शाये गये है। उसके पूर्व विवेचक द्वारा मुल्जिमान की सम्पत्ति के बारे में जानकारी की गयी है, उसके द्वारा नहीं की गयी है। उसे जानकारी नहीं है कि मुल्जिम क्या काम करते हैं। उसने पूर्व विवेचक के द्वारा की गयी विवेचना की सी0 डी0 का अवलोकन किया था। अभियुक्तों के पास पैतृक भूमि होने का विवरण अंकित है, जो पूर्व विवेचक द्वारा ज्ञात किया गया है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इस पैतृक सम्पत्ति के अलावा मुल्जिमान के पास अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि मात्र एक मुकदमें के आधार पर गैंगस्टर की कार्यवाही नहीं हो सकती। विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मूल अपराध में सजा होने के बाद गैंगस्टर के मामले में सजा नहीं हो सकती। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>–निष्कर्ष–</u>

26– पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण वीरपाल, ग्रीश एवं भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही उनके विरूद्ध दर्ज अ0सं0–77/2020 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम वीरपाल, अवधेश कुमार, ग्रीश एवं भूपेन्द्र सिंह के आधार पर की गयी थी। दौरान विचारण अभियोजन की ओर से उक्त अपराध संख्या से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–805/2020 में पारित निर्णयादेश दिनांकित 07.08.2025 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी। उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को मु0अ0सं0–77/2020 के मामले में दोषसिद्ध किया जा चुका है।

27– अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए पी0 डब्लू0–01 निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और गैंगचार्ट को प्रदर्श क–01 तथा अपराध संख्या–92/2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–02 के रूप में अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर साबित किया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी जिरह में कथन किया है कि अध्याय 16 में 302 भा०दं०सं० का अपराध आता है। उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसकी जानकारी में आया था कि जमीनी सम्पत्ति क्रय की गयी थी। गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में स्पष्ट उल्लेख है कि अभियुक्त वीरपाल पुत्र राम सिंह ने एक संगठित गिरोह बना रखा है, जिसके सक्रिय सदस्य अवधेश, ग्रीश, भूपेन्द्र हैं तथा आर्थिक लाभ के लिए मृत्यु जैसे जघन्य घटना का अन्जाम देते हैं। घटना के समय गॉव के लोग भय की वजह से अपने–अपने घरों में ताला लगाकर गॉव से भाग गये तथा गॉव में अफरा–तफरी का माहौल हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गयी। ग्राम व थाना क्षेत्र में उनका भय व आतंक व्याप्त है। जनता का कोई व्यक्ति भय की वजह से इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने हेतु तैयार नहीं होता है। उक्त साक्षी के द्वारा ही गैंगचार्ट तैयार किया गया है। जिरह में उक्त साक्षी से ऐसा कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जो गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में वर्णित तथ्यों को संदेहास्पद बनाता हो।

28– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में सी०सी० 1073 मौहर सिंह को पी0 डब्लू0–02 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा गैंगचार्ट के आधार पर चिक एफ0आई0आर0 अ0सं0–92/2020 को स्वयं द्वारा कम्प्यूटर पर टंकित कर पूर्व में प्रदर्श क–02 के रूप में साबित किया गया है और जी0डी0 को प्रदर्श क–03 के रूप में स्वयं द्वारा कम्प्यूटर पर तैयार करना बताते हुए साबित किया गया है। बचाव पक्ष के द्वारा जिरह किये जाने पर उक्त साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया गया है कि उसने कार्यवाही एण्टी टाईम की है।

29– अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए पी0 डब्लू0–03 प्रभारी निरीक्षक संजीव त्यागी को अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है जो कि उक्त प्रकरण के विवेचक है। उक्त साक्षी के द्वारा आरोप पत्र प्रदर्श क–04 को अपने हस्ताक्षर से व अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति आदेश को प्रदर्श क–05 के रूप में एस०एस०पी० उदयशंकर सिंह के हस्ताक्षर से साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। उक्त साक्षी ने जिरह के

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge,Court No.03, Etah.

पेज क्रमांक 02 में कथन किया है कि मुल्जिमान द्वारा जघन्य हत्या कांड कर भौतिक लाभ प्राप्त किया गया है। भौतिक लाभ से उसका मतलब मान–सम्मान से है।

30– प्रकरण में अभियोजन के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पी0 डब्लू0–04 सुरेन्द्र को परीक्षित कराया गया है, जो गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में वर्णित मु0 अ 0 सं0–77/2020 का वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्टतः कथन किया है कि दिनांक 14.06.2020 को उसका भाई विजेन्द्र सुबह करीब 08:00 बजे अपने पुत्र राजा की शादी की दावत देने अपने पुत्र जितेन्द्र पुत्र घमण्डी, निवासी दलपुर, थाना मलावन में गये थे। उसी समय जितेन्द्र के अपने कुनबा के परिवारी जन वीरपाल, अवधेश, ग्रीश व भूपेन्द्र पुत्रगण राम सिंह व राम सिंह की पत्नी रामसखी, निवासीगण दलपुर, थाना मलावन, जाति लोधी राजपूत, फावड़ा, खुर्पी, कुल्हाड़ी व कन्नी आदि लेकर आ गये और जितेन्द्र पुत्र घमण्डी व घमण्डी की पुत्री पिन्की व घमन्डी की पत्नी कृष्णा देवी, उक्त लोगों ने जमीन पर गिरा कर फावडा खुर्पी कुलाडी व कन्नी आदि से हमला करने लगे। तभी उसका भाई विजेन्द्र बीच–बचाव करने पहुंचा तो उपरोक्त सभी लोगों ने एक राय मशवरा होकर अपने हाथ में फावड़ा, खुर्पी, कुल्हाड़ी व कन्नी आदि लेकर हमला कर दिया, जिससे उसके भाई विजेन्द्र की गम्भीर चोटे आई और उसके भाई की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उक्त साक्षी के द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि उसने अपने आंखों से हत्या होते हुए नहीं देखा था। उक्त साक्षी ने जिरह में इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने गलत रिपोर्ट लिखायी है।

31– जहॉ तक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मात्र एक अपराध के आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हो कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **रिन्कू उर्फ हुक्कू बनाम स्टेट आफ यू०पी० [2001 (1) जे०आई०सी० 19]** में यह अवधारित किया गया है कि ''एक मात्र असामाजिक आपराधिक गतिविधि जो गिरोहबंद अधिनियम की परिधि में आती है, इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त है।'' इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने **श्रद्धा गुप्ता बनाम स्टेट आफ यू०पी० (2022) 19 एस०सी०सी० 57** में अवधारित किया गया कि गिरोहबंद के लिए समाज–विरोधी का एकमात्र क्रियाकलाप पर्याप्त है। अतः अभियुक्तगण की ओर से तत्सम्बन्ध में किये गये तर्क सारहीन है।

32– इसी प्रकार अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मूल अपराध में सजा होने के उपरान्त गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत सजा नहीं हो सकती। ऐसी दशा में अभियुक्तगण दोहरे दण्ड से दण्डित हो जायेंगे। तत्सम्बन्ध में

उल्लेखनीय हो कि गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराध के लिए अलग से दण्ड का प्रावधान है और यह किसी दूसरे अपराध पर आश्रित न होकर स्वतंत्र रूप से दाण्डिक प्रावधान की व्यवस्था करता है। जब गिरोहबंद द्वारा कोई एसा अपराध कारित किया जाता है जो सामान्य दाण्डिक या अन्य कानून के तहत दण्डनीय होने के साथ–साथ गिरोहबंद अधिनियम से भी दण्डनीय है तो उस अपराधिक कृत्य के लिए सम्बन्धित दाण्डिक कानून के साथ–साथ गिरोहबंद अधिनियम के तहत भी दण्डित किया जा सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा **अशोक कुमार दीक्षित बनाम स्टेट आफ यू०पी० ए०आई०आर० 1987 इलाहाबाद 235** में अवधारित किया गया है कि दोहरे दण्ड का सिद्धान्त लागू नहीं होता है, क्योंकि गिरोह द्वारा कारित अपराधिक कृत्य दो भिन्न–भिन्न अधिनियमों के तहत दण्डनीय होते हैं।

33– इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अभियुक्तगण को मु0अ0सं0–77/2020 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जा चुका है तथा अभियुक्तगण को आजीवन कारावास का दण्ड विद्वान न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–805/2020 में पारित निर्णय दिनांकित 07–08–2025 के माध्यम से अधिरोपित किया गया है, निर्णय की प्रतिलिपि पत्रावली पर कागज संख्या 68ब/1 लगायत 68ब/19 है। हस्तगत प्रकरण में मुलतः इसी मुकदमें के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा मामले के विवेचक व वादी को अभियुक्तगण द्वारा अवैध धन अर्जित करने तथा उनका समाज में भय व आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराया जा सकता है।

34– पत्रावली पर संलग्न गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 के अवलोकन से विदित है कि गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 प्रवीण कुमार सिंह थानाध्यक्ष के द्वारा दिनांक 01–07–2020 को तैयार किया गया था और उसका अनुमोदन दिनांक 06–07–2020 को हुआ है तथा उसी गैंगचार्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06–07–2020 को पंजीकृत हुयी। अभियोजन साक्षी वादी प्रवीण कुमार सिंह (पी0डब्लू0–01) के द्वारा अपनी जिरह के पेज क्रमांक–03 पर स्पष्टतः कथन किया गया है कि ''उसकी जानकारी में आया था कि जमीनी सम्पत्ति क्रय की गयी थी।'' अभियोजन साक्षी संजीव त्यागी (पी0डब्लू0–03) जिनके द्वारा वर्तमान प्रकरण में अनुसंधान कर अभियोग पत्र प्रदर्श क–04 प्रस्तुत किया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि "मुल्जिमान द्वारा जघन्य हत्या काण्ड कर भौतिक लाभ प्राप्त किया गया है।" यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा जिरह में यह भी

कथन किया गया है कि यह ज्ञात हुआ था कि पैतृक सम्पत्ति के अलावा मुल्जिमान के पास कोई सम्पत्ति नहीं है। आर्थिक लाभ से तात्पर्य कुछ धनी लाभ से है, जब कोई व्यक्ति धनी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करता है, जो अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित अपराधों की परिधि में आ जाता है, तो वह आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को अकृष्ट करता है। हस्तगत मामलें में अभियोजन साक्षी प्रवीण कुमार सिंह पी0 डब्लू0–01 एवं अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–03 संजीव त्यागी तथा अभयोजन साक्षी पी०डब्लू0–04 सुरेन्द्र सिंह के न्यायालीन कथनों से स्पष्ट है कि **अभियुक्तगण के द्वारा आर्थिक लाभ के लिए मृत्यु जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है।** इसी प्रकार भौतिक या दुनियाबी लाभ या अन्य लाभ से तात्पर्य कोई ऐसा लाभ प्राप्त करने से है, जो उस अपराध करने वाले व्यक्ति को सुख, सुविधा में वृद्धि करता है या उसकी अहम की चेष्टा की पूर्ति करता है या समाज में उस गिरोह की धमक कायम करने की क्षमता रखता है। उक्त गिरोह उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे उस आपराधिक कृत्य हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन अथवा प्रपीड़न द्वारा प्राप्त कर रहा है, तब यह माना जायेगा कि उस गिरोह के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान मामले में अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा सुख सुविधा में वृद्धि की गयी और समाज में धमक कायम रहे, इसलिए हत्या जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर लायी गयी है, उससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्तगण के द्वारा आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया और **अभियुक्तगण का समाज में भय या आतंक विद्यमान था तथा अभियुक्तगण की उपस्थिति से लोक व्यवस्था खतरे में थी**।

35– न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराये जाने के लिए साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में उल्लिखित मामला मु0 अ 0 सं0–77/2020 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 504, 506 भा0 दं0 सं0 में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जा चुका है, जिनके आधार पर उनके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र (पीडब्लू0–04) द्वारा न्यायालय के समक्ष स्पष्टतः कथन किया गया है कि ''**वीरपाल, अवधेश, ग्रीश एवं भूपेन्द्र सिंह तथा अन्य के द्वारा फावड़ा, खुर्पी, कुल्हाड़ी व कन्नी से विजेन्द्र, पिंकी व किशना देवी पर हमला किये, जिससे विजेन्द्र को गम्भीर चोटें आयी और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी।** उक्त साक्षी के द्वारा कथन किया गया है कि **मुल्जिमानों**

के द्वारा हत्या व चोट पहुंचाने की वजह से आस–पास के लोग भयभीत होकर अपना–अपना घर बंद करके भाग गये और लोक व्यवस्था भंग हो गयी, चारों तरफ डर व आतंक का माहौल बन गया।'' उक्त साक्षी की साक्ष्य अखण्डनीय रही है। गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में दर्शित अ०सं०–77/2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पत्रावली में संलग्न है, जो कागज संख्या 8ब/5 लगायत 8ब/7 है, जिसमें भी इस तथ्य का उल्लेख है कि आस–पास के लोग अपना–अपना घर बंद करके भागे, जिससे लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गयी। चारों तरफ अफरा–तफरी का माहौल हो गया था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गिरोह के द्वारा जब मृतक विजेन्द्र की हत्या कारित की गयी, उस समय आस–पास भय व आतंक व्याप्त हो गया था, जिस कारण लोग घर बंद करके भाग गये थे। इसके अतिरिक्त अभियोजन गिरोहबंद अधिनियम के विशिष्ट घटक को अतुल्य साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

–आदेश–

36– अभियुक्तगण वीरपाल, ग्रीश एवं भूपेन्द्र सिंह को सत्र वाद संख्या–731/2021 उ0प्र0 राज्य बनाम वीरपाल आदि, मुकदमा अपराध संख्या–92/2020, थाना मलावन, जिला एटा के प्रकरण में उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से दोषसिद्ध किया जाता है।

37– अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है तथा जिला कारागार से न्यायालय में उपस्थित हैं।

38– अभियुक्तगण को दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंचबाद पेश हो।

दिनांकः 10–03–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O.Code U.P. 2690

39– दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंचबाद पेश।

40– दण्ड के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्क श्रवण किये गये।

41– अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वे अत्यन्त गरीब व्यक्ति हैं। वे मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं हैं। वे लम्बे समय से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उन्हें कम से कम सजा से दण्डित किया जाये।

42– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) की ओर से अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

43– न्यायालय द्वारा दण्ड निर्धारण हेतु दोषसिद्धिगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले दण्ड का दोषसिद्धि अपराधी एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, प्रश्नगत अपराध में अधिनियम द्वारा प्रावधानित दण्ड एवं अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड के बीच समानुपातिकता के सिद्धान्त तथा मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी। अतः अभियुक्तगण को धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये 03–03 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/–10,000/–रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–दण्डादेश–

दोषसिद्धगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:–

दोषसिद्ध व्यक्ति का नाम	धारा	कारावास /सजा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सजा
1–वीरपाल पुत्र राम सिंह निवासी–दलपुर, थाना मलावन, जिला एटा।	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986	तीन वर्ष सश्रम कारावास	10,000/– रूपये (दस हजार रूपये)	पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास
2–ग्रीश पुत्र राम सिंह, निवासी–दलपुर, थाना मलावन, जिला एटा।	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986	तीन वर्ष सश्रम कारावास	10,000/– रूपये (दस हजार रूपये)	पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास
3–भूपेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी–दलपुर, थाना मलावन, जिला एटा।	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986	तीन वर्ष सश्रम कारावास	10,000/– रूपये (दस हजार रूपये)	पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge,Court No.03, Etah.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के प्रावधानानुसार दोषसिद्धगण के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को उसकी कारावास की अवधि से मुजरा किया जावे।

दोषसिद्धिगण वीरपाल, ग्रीश एवं भूपेन्द्र सिंह को सजायावी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार, एटा भेजा जावे। निर्णय एवं दण्डादेश की एक–एक प्रति दोषसिद्धगण को निःशुल्क प्रदाय की जाये तथा निर्णय की एक प्रति जिला कारागार को प्रेषित की जावे।

दिनांकः 10–03–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O.Code U.P. 2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 10–03–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O.Code U.P. 2690